

परिपत्र

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक


उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आनलाइन आवेदन प्रक्रिया वर्ष 2016-17 प्रारंभ की जा चुकी है, संबंधित जरूरी नियम व शर्तें एवं आनलाइन फार्म दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in पर उपलब्ध है। इस संबंध में सभी पात्र अनु0जाति/अनु0ज0जाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि वे दी गई उपरोक्त वेबसाइट पर छात्रवृत्ति हेतु दिये गये विशेष निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आनलाइन फार्म भरे एवं भरे हुए फार्म का प्रिंटआउट लेकर उसके साथ निम्नलिखित अभिप्रमाणित प्रपत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम की फीस रसीद, हास्टल की फीस रसीद, शपथ पत्र एवं अन्य जरूरी दस्तावेज इत्यादि को संलग्न करके संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा अभिप्रमाणित करवाकर छात्र स्वयं ही अपने फार्म को अनु0जा0/अनु0ज0जा0 प्रकोष्ठ (SC/ST Cell) में सभी कार्य-दिवसों में अपराह्न 3.00 बजे से 6.00 बजे तक के बीच में इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 30.09.2016 के दौरान जमा करना सुनिश्चित करें। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.09.2016 है। अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी फार्म पर प्रकोष्ठ द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(क) आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/प्रपत्र:-

- तहसील द्वारा जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि साथ ही साथ आनलाइन सत्यापित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।
- तहसील द्वारा जारी किये गये आय प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि साथ ही साथ आनलाइन सत्यापित प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।
(अनु0जा0/अनु0ज0जा0/सामान्य/अ0पि0वर्ग/अल्पसंख्यक के लिए आय की सीमा रू0 2.00 लाख वार्षिक)
- हाईस्कूल से लेकर गतवर्ष तक उत्तीर्ण सभी अंकपत्र/प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- पाठ्यक्रम की फीस रसीद एवं हास्टल की फीस रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा सत्यापित फोटो मोहर के साथ।
- आवेदन पत्र के साथ दिये हुए संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- छात्र के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- छात्र द्वारा बैंक में खोले गये खाते की पासबुक जिस पर छात्र का नाम व खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो, की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु विगत कक्षा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्ति रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in से हाईस्कूल सर्च डिटेल का प्रिंटआउट।

(ख) दिशा निर्देश:-

- केवल वे ही छात्र/छात्रा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात् स्थाई निवासी हों।
- ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ - एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0टेक0/एल0एल0एम0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0टेक0/एल0एल0एम0 करने लगें।
- यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित संलग्न करें।
- सभी पात्र छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि वे अपना आनलाइन आवेदन फार्म सावधानी पूर्वक भरें। अपूर्ण आवेदन फार्म को निरस्त कर दिया जायेगा।
- वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं, वे अपने राज्य में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करेंगे। अन्य राज्य से संबंधित छात्र/छात्रायें अपने राज्य के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे तथा ससमय आवेदन करना सुनिश्चित करें।
- प्राथमिकताओं के अनुरूप पात्र अभ्यर्थियों का खाता, केनरा बैंक, बी0बी0ए0यू0 शाखा, लखनऊ में होना आवश्यक है।
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक/सीडेड होना आवश्यक है अन्यथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगी।
- अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के पात्र छात्रों को शपथ पत्र परिशिष्ट 'ख' के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित (प्रथम पक्ष - यथा छात्र व गवाह एवं द्वितीय पक्ष - यथा विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक व गवाह) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- यदि एक ही आय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा के भाई अथवा बहन द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम/संस्था में उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित छात्र को एक प्रार्थना पत्र अपने आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना होगा जिसमें कि छात्र/छात्रा के भाई/बहन का रजिस्ट्रेशन संख्या, पाठ्यक्रम का नाम एवं संस्था का नाम अंकित करना होगा साथ ही साथ भाई/बहन के आवेदन फार्म की प्रतिलिपि भी संलग्न करना होगा।
- शपथ पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी www.scholarship.up.nic.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bbau.ac.in पर उपलब्ध हैं।
- किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।


कुलसचिव

संलग्नक:- जॉच सूची व परिशिष्ट "ख", "घ"/"च"

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

1. समस्त विभागों/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बा0भी0अ0वि0, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, कुलपति, बा0भी0अ0वि0, लखनऊ।
4. कुलसचिव के निजीसचिव, बा0भी0अ0वि0, लखनऊ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, बा0भी0अ0वि0, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।


नोडल अधिकारी

(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)

एवं

उपकुलसचिव(अनु0जा0/अनु0ज0जा0)

(जांच सूची)

छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

निर्देश – छात्र कृपया बाक्स में (√) या (×) करे।

1. आनलाइन आवेदन फार्म का सुस्पष्ट प्रिन्ट आउट।
2. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जाय व संस्थान स्तर (विभागाध्यक्ष /समन्वयक) से प्रमाणित किया जाय।
3. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
4. आय प्रमाण पत्र (आनलाइन सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि)
5. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
6. जाति प्रमाण पत्र (आनलाइन सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि)
7. सामान्य निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
8. सामान्य निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि)
9. हाईस्कूल से लेकर गत वर्ष तक उत्तीर्ण (पिछले शैक्षिक योग्यता) सभी अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
10. पाठ्यक्रम की फीस रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
11. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
12. आवेदन पत्र के साथ दिये हुये संबंधित दस्तावेज/प्रपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
13. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
14. अनु0जा/अनु0ज0जा0/सामान्य/अ0पि0वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र की उनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि /गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
15. छात्र द्वारा केनरा बैंक, बी0बी0ए0यू0, शाखा, लखनऊ में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति।
16. छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा 10/- रु0 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र के दर्शाये गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।
17. अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के पात्र छात्रों को शपथ पत्र परिशिष्ट 'ख' के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित (प्रथम पक्ष – यथा छात्र व गवाह एवं द्वितीय पक्ष – यथा विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक व गवाह) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
18. सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को घोषणा पत्र (रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर) परिशिष्ट "घ"/ "च" समक्ष संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जैसा की लागू हो) के अनुरूप को सम्पूर्ण भरकर एवं हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
19. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि।
20. छात्र/छात्रा के हाईस्कूल के सर्च डिटेल का प्रिन्टआउट।

छात्र/छात्रा का विवरण:

छात्र/छात्रा का नाम:-

पाठ्यक्रम का नाम:-

विभाग का नाम:-

पंजीकरण संख्या :-

श्रेणी:-

मोबाइल न0:-

अग्रसारित

छात्र का हस्ताक्षर:-

समन्वयक/विभागाध्यक्ष हस्ताक्षर
मोहर



छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. आनलाइन आवेदन फार्म का सुस्पष्ट प्रिन्ट आउट
2. आवेदन पत्र पर चस्मा फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जाय व संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जाय।
3. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
4. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
5. सामान्य निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
6. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
7. छात्र के आधार कार्ड की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
8. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
9. अनु0जा/अनु0ज0जा0/सामान्य/अ0पि0वर्ग/अल्पसंख्यक के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र की उनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि /गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की प्रति।
11. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति।
12. छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा 10/- ₹0 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र कें दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।



छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र
(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को (1) कु0/श्रीमती/श्री.....आयु.....
वर्ष.....पुत्री/पत्नी/पुत्र श्री.....जाति.....निवासी ग्राम/मु0.....
.....डाकखाना.....तहसील.....जिला.....जिसे एतत्पश्चात प्रथम
पक्ष कहा गया है।

एवं

(2).....(संस्थाध्यक्ष) पता.....जनपद.....
.....(जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा
मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आति उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन नियमावली 2014) में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं:-

- 1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
- 3- द्वितीय पक्ष उपयुक्त नियमावली के प्रविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
- 4- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
- 5- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
- 6- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 7- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2016 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष: हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं0-1 हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं0-2 हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....



अनु0जाति/अनु0ज0जाति छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम.....
..... मुहल्ला.....जनपद..... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित
बयान करता हूँ:-

1. यह कि मैं ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला.....
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (आय/जाति/सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त
संलग्न है)
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हूँ।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे
कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के
पाठ्यक्रम में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था.....
..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त
होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से घोषणा
पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या.....बैंक.....के
.....शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे नि:शुल्क/सशुल्क प्रवेश दिया गया है।
उक्त घोषणा पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी
में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक :

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....



सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम.....
..... मुहल्ला..... जनपद..... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित
बयान करता हूँ:-

1. यह कि मैं ग्राम..... मुहल्ला..... तहसील..... जिला.....
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (आय/सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग का हूँ।
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं..... शैक्षिक संस्थान के
पाठ्यक्रम में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था.....
..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या..... बैंक..... के
..... शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है।
उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....



अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम.....
..... मुहल्ला..... जनपद..... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित
बयान करता हूँ:-

1. यह कि मैं ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला.....
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का हूँ।
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं.....शैक्षिक संस्थान के
पाठ्यक्रम में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था.....
..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या.....बैंक.....के
.....शाखा में खुला हुआ है।
9. उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....



अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्रा द्वारा देय घोषणा पत्र (रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री..... जो ग्राम.....
..... मुहल्ला..... जनपद..... का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित
बयान करता हूँ:-

1. यह कि मैं ग्राम..... मुहल्ला..... तहसील..... जिला.....
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग का हूँ।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे
कम है।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
4. यह कि सम्प्रति मैं..... शैक्षिक संस्थान के
पाठ्यक्रम में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था.....
..... विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
5. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त
होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा।
6. यह कि मैंने पिछली परीक्षा..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ
पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से
अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या..... बैंक..... के
..... शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य
सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

